(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTEE OF INDIA PART-I SECTION II)

F. No. I-14011/10/2020-IPS-I (E) (II) Government of India

Ministry of Home Affairs

New Delhi, Date: 30 .04.2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Meghalaya Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Assam-Meghalaya Joint Cadre (Meghalaya Segment) Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List 2019

Sl. No.	Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
1	Vivek Syiem	11.12.1975

- 2. The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10-05-2011.
- 3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

D. K. Ghosh)

Under Secretary to the Government of India

То

The Manager, Govt. of India Press, Minto Road, New Delhi

No. I-14011/10/2020-IPS.I (E)(II)

Dated, Date: 30.04.2021

A copy each is forwarded to: -

- 1. The Chief Secretary, Government of Meghalaya, Shillong. {Attn. Shri S. F. Hamid, Deputy Secretary, Home} The officers concerned may be intimated of their status in the Select List along with a copy of the Notification.
- 2. The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi. (Kind Attn. Shri Sandeep Kumar, Under Secretary, AIS) for information.
- 3. The Accountant General, Meghalaya, Shillong.
- 4. The Director General of Police, Meghalaya, Shillong.
- 5. The Director, SVP NPA, Hyderabad.
- 6. Sr. Tech. Dir (NIC) for placing on MHA IPS Portal (under "https://www.ips.gov.in/App_Assam-Meghalaya.aspx").

(D. K. Ghosh)

Under Secretary to the Government of India

{भारत के राजपत्र, भाग 1, खण्ड (II), में प्रकाशनार्थ} सं. I-14011/10/2020-IPS-I (E) (II)

भारत सरकार गृह मंत्रालय

> नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली दिनांक: २० .4.2021

<u>अधिसूचना</u>

राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, मेघालय राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग (मेघालय खंड) प्रदान करते है।

<u>चयन सूची 2019</u>

क्रमसंO	अधिकारी का नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	विवेक सईएम	11.12.1975

- 2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनाक 10-05-2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।
- 3. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी ।ख

3 odo alm

(डी. के. घोष)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली।

सं. I-14011/10/2020-IPS-I (E) (II)

नई दिल्ली दिनांक: 30 .04.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः

- 1 मुख्य सचिव, मेघालय सरकार, शिलांग (ध्यानार्थ: श्री एस एफ हामिद, उप सचिव, (गृह पुलिस विभाग)) निवेदन है की संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए ।
- 2 सचिव] संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थ: श्री संदीप कुमार, अवर सचिव ए०आई०एस०) धौलपुर हाउस] शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली : सूचनार्थ ।
- महालेखापाल, मेघालय सरकार, शिलांग ।
- पुलिस महानिदेशक, मेघालय सरकार, शिलांग ।
- निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद।
- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (ऍन आई सी) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेत् । (under "https://www.ips.gov.in/App Assam-Meghalaya.aspx")

डी के. घोष)

अवर सचिव, भारत सरकार